प्ररूप 8
{नियम 13 (3) और 26 देखिए}

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विषिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,
.............................विधान सभा / £ संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र

हाल ही के पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (3.5 से0मी0 x 3. 5से0मी0), जिसमें बॉक्स के भीतर चेहरे का पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए । मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विवरण निम्नानुसार हैंः–

I. आवेदक का विवरण	**नाम**		**उपनाम (यदि कोई हो)**
निर्वाचक नामावली का भाग संख्याः		उस भाग में क्रम संख्याः	
1 जनवरी..............................# को................. आयु	वर्षः	मासः	लिंग (पुरूष / स्त्री / अन्य):
जन्म तिथि, यदि ज्ञात हैः	तारीखः	मासः	वर्षः
पिता / माता / पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)	

II. साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)							
मकान / गृह संख्याः							
गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मोहल्ला / सड़कः							
नगर / ग्रामः							
डाकघरः	पिन कोड						
तहसील (अंचल) / तालुक (प्रखंड) / मंडल / थानाः							
जिलाः							

III. निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र का विवरण :

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्याः

निर्वाचन क्षेत्र का नामः

IV. शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण

इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मेरा नाम–*आयु / *मेरे पिता / माता / पति का नाम / *लिंग / *पता / *निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र संख्या *शुद्ध कर दिया जाए ।

स्थानः
तारीखः निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निषान

कृपया अपनी मोबाईल संख्या / ई–मेल आई.डी. उल्लिखित करें (ऐच्छिक) ....

टिप्पणीः– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विष्वास है या जिसके सत्य होने का विष्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा ।

£ उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं हैं और जम्मू और कष्मीर राज्य के मामले में ।

कृपया वर्ष उल्लिखित करें जैसे 2007, 2008 आदि।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्टीकरण आफिसर द्वारा भरा जाए)

श्री / श्रीमती / कुमारी..के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की शुद्धि के लिए प्रारूप 8 में आवेदन को स्वीकार* / नामंजूर* कर दिया गया है ।

स्वीकार *किए जाने {नियम 18 / 20 / 26(4)£ के अधीन या अनुसरण में} या नामंजूर किए जाने {नियम 17* / 20* / 26(4)£ के अधीन या अनुसरण में} के लिए विस्तृत कारणः

स्थानः दिनांकः	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर	(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

£निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाषन के पश्चात् सतत् अद्यतीकरण करने के दौरान ।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियां

[प्ररूप 8 लगातार ....]

[यह पृष्ठ इतना मोटा होना चाहिये कि यह डाक से भेजे जाने पर क्षतिग्रस्त न हो]

कार्रवाई की सूचना

(इस पृष्ठ का अनुभाग –II संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा और आवेदक को उसके द्वारा इस पृष्ठ के अनुभाग–I में दिये गये पते पर डाक से भेजा जायेगा।)

.... पहला मोड़ ....

अनुभाग –I

डाक टिकट निर्वाचक निबंधन प्राधिकार द्वारा प्रेषण के समय चिपकाया जायेगा।

प्ररूप 8 में दिया गया श्री/श्रीमती/कुमारी .... का आवेदन

** (पूरा पता)							
मकान/गृह संख्याः							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/ मोहल्ला/सड़कः							
नगर/ग्रामः							
डाकघरः	पिन कोड						
तहसील/तालुक/मंडल/थानाः							
जिलाः							

** आवेदक द्वारा भरा जाये।

.... दूसरा मोड़ ....

अनुभाग –II

(क) स्वीकृत कर लिया गया है तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... के भाग संख्या .... के क्रमांक .... की प्रविष्टि तदनुसार संषोधित कर ली गई है।

(ख) नामंजूर कर दिया गया है क्योंकि ....

तारीख ....

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
पता ....
....
....

.... फाड़ने हेतु छिद्रण ....

आवेदन की पावती

******श्री/श्रीमती/कुमारी..

******पता..

से प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांकः..

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर
(पता)..
....
....

**आवेदक द्वारा भरा जाए ।

आवेदन प्ररूप–8 भरने के लिए दिषा–निर्देष
सामान्य अनुदेष

प्ररूप–8 कौन दाखिल कर सकता है

1. उस व्यक्ति द्वारा जिसका नाम पहले से ही निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है तथा विवरण निर्वाचक नामावली में मुद्रित है, प्रविष्टियों में संषोधन हेतु आवेदन दाखिल किया जा सकता है। एक व्यक्ति प्ररूप 8 में किसी अन्य व्यक्ति से सम्बंधित विवरण में सुधार के लिये आवेदन पत्र दाखिल नहीं कर सकता।

प्ररूप–8 कब दाखिल किया जा सकता है

1. निर्वाचक नामावली में सम्मिलित व्यक्ति के विवरण में संषोधन के लिये प्ररूप 8 दाखिल किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाषन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है । आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है ।
2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है ।
3. पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी अंतिम निर्वाचक नामावली में अपने से संबंधित प्रविष्टि के संषोधन के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है । गैर–पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए ।

प्ररूप–8 कहां दाखिल किया जाए

1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थलों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थल), जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्षित की जाती है, के साथ–साथ निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल की जा सकती है ।
2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है ।

प्ररूप–8 कैसे भरें

1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आवेदक का नाम पहले से नामावली में सम्मिलित है। खाली स्थान में निर्वाचन–क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
2. आवेदन के भाग I में आवेदक अपना नाम भरें जैसा निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट होना चाहिये। यदि निर्वाचक नामावली में आपका संक्षिप्त नाम प्रविष्ट है और आप अपना पूरा नाम मुद्रित कराना चाहते हैं तब अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिये तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिये। यदि आपका कोई उपनाम नहीं है तो आपको दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वहीं किया जाना है, जहां यह निर्वाचक के नाम के अंष के रूप में अथवा उपनाम के रूप में प्रयुक्त है अन्यथा नहीं। सम्मान सूचक पदवियां जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि उल्लिखित नहीं किया जाना है।
3. निर्वाचक सूची के जिस भाग में आपका नाम प्रविष्ट है उसकी भाग संख्या तथा सूची में अपने नाम की क्रम संख्या का उल्लेख करें। यह अनिवार्य है।

4. उम्र

इसी तरह, उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसके आधार पर निर्वाचक नामावली मुद्रित हुई है आपको अपनी उम्र वर्ष एवं महीने में अंकित करनी चाहिये। यह अर्हता तिथि निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ में नीचे मुद्रित है।

5. लिंग

प्रदत्त स्थान में अपने लिंग का स्पष्ट उल्लेख करें, जैसे पुरूष/महिला । यदि आवेदक स्वयं को पुरूष या महिला में वर्गीकृत करना नहीं चाहते तो वे अपना लिंग "अन्य" लिख सकते हैं ।

6. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)

प्रदत्त स्थान में जन्म तिथि, दिनांक/माह/वर्ष के अनुसार अंकों में भरें । जन्मतिथि के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें:–

(i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जिला निबंधक, जन्म व मृत्यु पंजीकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र या दीक्षा प्रमाण–पत्र ; या

(ii) आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए अंतिम (सरकारी/मान्यता प्राप्त) विद्यालय या अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण–पत्र ; या

(iii) अषिक्षित या अल्प षिक्षित आवेदक को जिनके पास उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं हैं, अपने माता या पिता, जिनका नाम पहले से ही निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, द्वारा आवेदक की आयु के समर्थन में विहित प्ररूप में एक घोषणा–पत्र संलग्न करना होगा । विहित प्ररूप मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

टिप्पणीः– आवेदक की जन्म तिथि 26.01.1989 को या उसके बाद होने की स्थिति में, केवल नगरपालिका प्राधिकारियों या जन्म–मृत्यु पंजीकरण जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र ही स्वीकार्य होगा ।

7. नातेदार का नामः

अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए । विवाहित महिला आवेदक के मामले में पति के नाम का उल्लेख किया जाए । इस स्तंभ से अनुपयुक्त विकल्पों को काट दें ।

8. साधारण निवास स्थान

दिए गए स्थान में पिन कोड सहित उस जगह का पूरा डाक–पता उल्लिखित करें, जहां आप साधारणतया निवास करते हैं तथा पंजीकरण कराना चाहते हैं ।

साधारण निवास स्थान के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें :

(i) बैंक/किसान/डाक–घर का चालू पासबुक, या

(ii) आवेदक का राषन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर निर्धारण आदेष ; या

(iii) आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता–पिता आदि के नाम से उस पते पर अद्यतन जल/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्षन बिल ; या

(iv) डाक विभाग द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त की गई/सुपुर्द की गई डाक ।

टिप्पणीः– यदि कोई आवेदक पते के साक्ष्य के रूप में केवल राषन कार्ड प्रस्तुत करता है, तो उसे उपर्युक्त में से एक और साक्ष्य संलग्न करना होगा ।

9. मतदाता फोटो पहचान पत्र का विवरण

यदि आपके पास पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र है, तो कृपया पहचान पत्र का क्रमांक (सामने की ओर मुद्रित) एवं उसके निर्गत होने की तिथि (पीछे की ओर मुद्रित) आवेदन पत्र के भाग III में प्रदत्त स्थान में उल्लिखित करें। कृपया पहचान पत्र के दोनो तरफ की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करें।

10. शुद्ध किये जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण

आवेदन के भाग IV में उल्लिखित विकल्पों में से उन्हें इंगित करें जिनसे सम्बंधित प्रविष्टियों को शुद्ध किया जाना है। अतः यह आवेदन का बहुत महत्त्वपूर्ण भाग है। आपने अपने नाम, उम्र, जन्मतिथि, नातेदार का नाम, लिंग, पता तथा फोटो पहचान पत्र की सही प्रविष्टि आवेदन के भाग I, II व III में यथास्थान कर दी है। इस भाग IV में आपको स्पष्ट रूप से टिक का चिन्ह लगाकर इंगित करना है कि आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर किस प्रविष्टि का शुद्धिकरण किया जाना है। जिन विकल्पों का संषोधन अपेक्षित नहीं है उसे कृपया काट दें।
अब देष के अधिकांष हिस्सों में निर्वाचक नामावली निर्वाचकों के छायाचित्र के साथ मुद्रित होती है। यदि आवेदन गलत छायाचित्र को शुद्ध करने के लिये दिया गया हो तब आवेदक आवेदन के भाग IV में 'मेरा छायाचित्र' उल्लिखित कर सकते हैं और यदि संभव हो तो अपना हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन छायाचित्र आवेदन के साथ संलग्न करें।
कृपया पावती तथा सूचना अनुभाग में अपना पूरा नाम एवं पता उल्लिखित करें।
कृपया अपनी मोबाईल संख्या और ई–मेल आई.डी. प्ररूप में ऐच्छिक रूप से उल्लिखित करें, यदि यह उल्लिखित की जाती हैं तो इनका उपयोग निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा आवेदक को आवष्यकतानुसार विभिन्न सूचनाएं देने में किया जा सकेगा।